अन्तरिम समिति का साधारण सभा के सदस्यों के सम्बन्ध में निर्णय :–

आज दिनाँक 25.09.2020 को अन्तरिम समिति की एक बैठक मा0 न्यायमूर्ति अरुण टण्डन(से.नि.) की अध्यक्षता में मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी के मुख्यालय पर 12.00 बजे सम्पन्न हुई।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनाँक 11.06.2020 के अनुपालन में अन्तरिम समिति मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी द्वारा साधारण सभा के सदस्यों की सदस्यता पर विचार–विमर्श तथा सम्बन्धित अभिलेखों को देखने के उपरान्त निम्न निर्णय लिया गया :–

1– मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनाँक 11.06.2020 के अनुपालन में डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स लखनऊ मण्डल लखनऊ ने अपने पत्र दिनाँक 15.07.2020 के माध्यम से सूचित किया कि उनके कार्यालय में डिप्टी रजिस्ट्रार श्री उमाशंकर सिंह के कार्यकाल (दिनाँक 18.07.2007 से दिनाँक 22.05.2012 तक) उपलब्ध 61 सदस्यीय सूची उपलब्ध है जो पत्र के साथ संलग्न करके भेजी जा रही है। उनके द्वारा यह कहा गया कि इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रमाणित सूची उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

2– अन्तरिम समिति ने मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी के उपसचिव श्री विनय श्रीवास्तव से विशेष रुप से यह जानना चाहा कि उनके पास साधारण सभा की सदस्यता से सम्बन्धित कोई पत्राजात कार्यालय में हैं अथवा नहीं। श्री श्रीवास्तव ने सूचित किया कि मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी के कार्यालय में साधारण सभा की सदस्यता से सम्बन्धित कोई पत्राजात(अभिलेख) उपलब्ध नहीं है। उन्होंने यह बताया कि सम्बन्धित अभिलेख पूर्व अध्यक्ष श्री नागेन्द्र नाथ सिंह द्वारा दिनाँक 24.10.2008 को सब पत्राजात प्राप्त किये गये था जो कभी भी वापस नहीं किया गया। साक्ष्य स्वरुप उन्होंने श्री नागेन्द्र नाथ सिंह का पत्र दिनाँक 22.10.2008 (संलग्नक) की प्रतिलिपि भी अन्तरिम समिति के समक्ष प्रस्तुत की।

3– अन्तरिम समिति के निर्देशानुसार सोसाइटी के उपसचिव द्वारा भारत सेवा संस्थान के महामंत्री से संस्थान के संरक्षक सदस्य, आजीवन सदस्य तथा ऐसोसिएट्स सदस्यों की सूची मँगवाई गयी। संस्थान के महामंत्री ने अपने पत्र दिनाँक 14.07.2020 के द्वारा एक सूची प्रेषित की जिसमें 19 लोगों के नाम

Scanned by CamScanner

संरक्षक सदस्य के रुप में दर्शाये गये जो सूची के क्रमांक सं0–17 से 35 तक हैं। उसी सूची में 3 लोगों के नाम आजीवन सदस्य के रुप में दर्शाये गये हैं जो क्रमांक 36 से 38 तक हैं तथा 13 लोगों के नाम सहयुक्त सदस्य (एसोसिएट्स सदस्य) के रुप में दर्शाये गये हैं जिनका क्रमांक 39 से 51 तक दर्शाया गया है।

4– अन्तरिम समिति के समक्ष श्री अनिल सिंह, श्री छत्रपाल शर्मा, प्रो0 डी0पी0 सिंह, प्रो0 मधुरिमा लाल, श्री मनोज कुमार गुप्ता श्री राजेश सिंह तथा श्री जे0आर0 त्रिपाठी के द्वारा उपरोक्त सदस्यता सूची (जो डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ से प्राप्त हुई है) पर आपत्ति की गयी। श्री अनिल सिंह, श्री छत्रपाल शर्मा, प्रो0 मधुरिमा लाल, श्री मनोज गुप्ता, श्री राजेश सिंह को व्यक्तिगत रुप से भी सुना गया। आपत्तियों को अन्तरिम समिति ने अपने प्रस्ताव दिनाँक 31.08.2020 व 14.09.2020 की कार्यवाही के रुप में दर्ज कर लिया गया जो इस निर्णय के भाग माने जायेगें।

5– उपसचिव श्री श्रीवास्तव ने यह भी बताया कि सदस्यता शुल्क जमा करने से सम्बन्धित कोई प्रमाण/रिकार्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, केवल प्रशासन परिषद की बैठक से सम्बन्धित कार्यवाही रजिस्टर उपलब्ध है जिसमें अखिरी 2 कार्यवाहियों दिनाँक 06.02.2010 (जिस पर हस्ताक्षर नहीं हैं।) व 15.02.2010 की है। उसके उपरान्त मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनाँक 13.02.2012 के अन्तर्गत गठित अन्तरिम समिति की कार्यवाही दिनाँक 27.06.2018 रिकार्डेड है।

उपलब्ध रिकार्ड तथा व्यक्तिगत सुनवाई के आधार पर अन्तरिम समिति नीचे लिखे तथ्यों के आधार पर मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी के साधारण सभा के सदस्यों को निर्धारित करने के लिए उद्यत हुई।

6– अन्तरिम समिति ने सबसे पहले डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ से प्राप्त सूची पर विचार किया। डिप्टी रजिस्ट्रार ने 13 व्यक्तियों को संस्थापक सदस्य के रुप में इंगित किया है जिनमें 1– श्री विमल कुमार शर्मा 2– श्री उमाकान्त मिश्रा 3–न्यायमूर्ति उमेश चन्द्र श्रीवास्तव 4–श्री नारायण दत्त तिवारी 5– श्री नागेन्द्र नाथ सिंह 6– श्री विष्णु भगवान अग्रवाल 7– श्री नरसिंह नारायण तिवारी 8– श्रीराम अरुण की मृत्यु हो चुकी है। अतः उनका नाम अब सूची से विलोपित

Scanned by CamScanner

करना ही होगा। प्रो0 डी0पी सिंह तथा श्री राजकिशोर रस्तोगी का नाम संस्थापक सदस्य के रुप में उल्लिखित है तथा श्री रेवती रमण सिंह का नाम आजीवन सदस्य के रुप में उल्लिखित है एवं राजा आनन्द सिंह का नाम उपरोक्त सूची में किसी भी श्रेणी के सदस्य के रुप में उल्लिखित नहीं है। अन्तरिम समिति उपरोकत 4 लोगों के सम्बन्ध में कोई भी निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं समझती है क्योंकि मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनाँक 11.06.2020 के प्रस्तर–145 में 5 व्यक्तियो को ही संस्थापक सदस्य माना है जिनके नाम निम्नवत है :–

1– कुँवर रेवती रमण सिह
2– राजा आनन्द सिंह
3– डा0 दाऊजी गुप्त
4– श्री जे0आर0 त्रिपाठी
5– श्री माता प्रसाद

7– मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि बचे हुए 8 संस्थापक सदस्यों की रिक्तियों को सोसाइटी संविधान के अनुसार भरा जाय। उपरोक्त निर्देशों के क्रम में बचे हुए 5 संस्थापक सदस्यों जिनके नाम ऊपर लिखे है की एक बैठक आहूत की गयी तथा दिनाँक 14.08.2020 की बैठक में सर्वसम्मति से 8 लोगों को संस्थापक सदस्य के रुप में पुष्टि की गयी जिनके नाम निम्न है :–

1– श्री केशव प्रसाद
2– कुँवर उज्जवल रमन सिंह
3– श्री कीर्तिवर्धन सिंह
4– श्री रत्नेश गुप्ता
5– श्री एस0के0 त्रिपाठी
6– श्री राजेश सिंह
7– डा0 ओम प्रकाश अग्रवाल
8– श्री प्रताप

इस प्रकार 13 संस्थापक सदस्यों की गणपूर्ति अन्तरिम समिति द्वारा की गयी।

Scanned by CamScanner

8– अन्तरिम समिति यह उल्लेख करना उचित समझती है कि प्रो0 डी0पी0 सिंह व छत्रपाल शर्मा को संस्थापक सदस्य माने जाने या न माने जाने के सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना चाहेगी कि यह विषय इस अन्तरिम समिति के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। अतः आपत्तियों को उक्त कारण से ही निरस्त किया जाता है।

9– डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ से प्राप्त सूची में उल्लिखित जिन सदस्यों को आजीवन सदस्य दिखाया गया है उसमें से श्रीमती शीला कौल, श्री राजा विजय कुमार त्रिपाठी की मृत्यु हो चुकी है। मा0 कुँवर रेवती रमण सिंह को मा0 उच्च न्यायालय ने संस्थापक सदस्य माना है उनका नाम उक्त श्रेणी में अंकित किया जा चुका है।

अन्तरिम समिति के समक्ष श्री अनिल सिंह, प्रो0 मधुरिमा लाल तथा मनोज कुमार गुप्ता ने अपने आपको आजीवन सदस्य माने जाने के लिए आपत्तियाँ दाखिल की तथा व्यक्तिगत रुप से भी अपना पक्ष रखा।

श्री छत्रपाल शर्मा जी ने यह भी कहाकि संस्थापक सदस्य व साधारण सभा के सदस्यों का रजिस्टर जानबूझकर कार्यालय द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। वह सोसाइटी के आजीवन सदस्य वर्ष 2008 में बनाये गये थे तथा श्री प्रेम मोहन जी का जब निधन हो गया तो उनके स्थान पर श्री नागेन्द्र नाथ सिंह के आदेश के तहत उन्हें संस्थापक सदस्य बनाया गया था। उसी हैसियत से उन्होंने प्रशासन परिषद की बैठक दिनाँक 21.02.2009, 25.06.2009, 15.02. 2010 तथा 22.07.2010 में प्रतिभाग किया तथा प्रशासन परिषद की कार्यवाही रजिस्ट्रर पर अपने हस्ताक्षर भी अंकित किया। अन्तरिम समिति द्वारा प्रशासन परिषद की कार्यवाही रजिस्ट्रर का भी अवलोकन किया गया तथा यह पाया गया की श्री छत्रपाल शर्मा जी द्वारा उपरोक्त बैठकों में प्रशासन परिषद के सदंस्य के रुप में प्रतिभाग किया गया तथा उनके हस्ताक्षर भी उपलब्ध हैं। उनका यह भी कहना है कि यदि वह प्रशासन परिषद के सदस्य ही नहीं थे तो प्रशासन परिषद की बैठकों में कैसे उपस्थित होकर हस्ताक्षर कर सकते थे। उक्त के विरुद्ध में कोई अन्य प्रमाण किसी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।

श्री जे0आर0 त्रिपाठी ने अपने पत्र दिनाँक 07.09.2020 में डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेश दिनाँक 22.12.2011 का उल्लेख करते हुए यह लिखा है कि श्री छत्रपाल शर्मा की सदस्यता समाप्त कर दी गयी थी। इस कारण से उन्हें

Scanned by CamScanner

साधारण सभा का सदस्य नहीं माना जा सकता। अन्तरिम समिति ने यह पाया कि उपरोक्त आदेश दिनाँक 22.12.2011 का उल्लेख मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनाँक 11.06.2020 के प्रस्तर–92 में किया गया है तथा उसके परिप्रेक्ष्य में किये गये चुनाव को इफेक्ट नहीं दिया गया। डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेश दिनाँक 10.01.2012 जिससे चुनाव कार्यक्रम रद्द किया गया था का भी उल्लेख किया है। ऐसी स्थित में डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेश दिनाँक 22.12.2011 के कारण श्री छत्रपाल शर्मा जी की सदस्यता के सम्बन्ध में कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। अन्तरिम समिति का यह मत हैं कि श्री छत्रपाल शर्मा जी को साधारण सभा का सदस्य मानते हुए आजीवन सदस्य की सूची में शामिल किया जाय।

10– श्री अनिल सिंह द्वारा यह कहा गया कि वह वर्ष 2008 में मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी के आजीवन सदस्य बने थे तथा उनके साथ श्री श्रीष भारद्वाज पूर्व प्रधानाचार्य, बिरला विद्या मन्दिर नैनीताल भी आजीवन सदस्य बने थे। उन्होंने आगे कहा कि प्रो0 सुरेन्द्र सिंह, न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय जो तत्समय सरकारी अधिवक्ता थे व प्रो0 ए0एन0 सिंह प्रो0 मधुरिमा लाल, डा0 ए0के0 सिंह आजीवन सदस्य बनाये गये थे जिसमें प्रो0 सुरेन्द्र सिंह का निधन हो चुका है। उन्होंने प्रो0 लाल अमरेन्द्र सिंह महामंत्री मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी की हैसियत से जारी सूची दिनाँक 15.09.2008 भी संलग्न किया है। उन्होंने आगे भी लिखा है कि वह 27.01.2009 में नेशनल इण्टर कालेज लखनऊ के प्रबन्धक चुने गये थे तथा वर्ष 2012 तक उपरोक्त पद पर कार्यरत रहे। इस चुनाव में जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ द्वारा नामित श्री जी0एन0 श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज निशातगंज, लखनऊ पर्यवेक्षक के रुप में उपस्थित थे। चुनाव का अनुमोदन भी हुआ था तथा उनके हस्ताक्षर प्रबन्धक के रुप में प्रमाणित किये गये। उन्होंने यह भी बताया कि नेशनल इण्टर कालेज पर लागू स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन जो जिला विद्यालय निरीक्षक के यहाँ से स्वीकृत है, के अनुसार सोसाइटी का सदस्य ही विद्यालय का प्रबन्धक निर्वाचित हो सकता है। ऐसे में उनका नाम आजीवन सदस्य के रुप में डिप्टी रजिस्ट्रार की सूची में न जोड़ा जाना गलत है। उन्होंने यह भी कहाकि उनकी प्रबन्ध समिति में न्यायमूर्ति श्री देवेन्द्र कुमार उपाध्याय जो उस समय सरकारी अधिवक्ता थे, प्रो0 ए0एन0 सिंह और प्रो0 मधुरिमा लाल डा0 ए0के0 सिंह हुए नेशनल इण्टर कालेज की प्रबन्ध समिति में थे। उनका नाम भी सदस्य के

Scanned by CamScanner

सदस्य के रुप में सदस्यता सूची में शामिल किया जाना चाहिए। श्री अनिल सिंह द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार से प्राप्त सूची पर अन्य कोई आपत्ति नहीं की है केवल प्रो0 डी0पी0 सिंह के बारे में कहा है की वह सदस्य नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रो0 डी0पी0 सिंह को श्री विमल कुमार शर्मा जी की अध्यक्षता वाली प्रशासन परिषद द्वारा वर्ष 2012 में संस्थापक सदस्य चुना गया था उस प्रशासन परिषद को मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनाँक 11.06.2020 में अवैध कर दिया है। अतः उनका नाम डिप्टी रजिस्ट्रार की सूची में गलत रुप से अंकित किया गया है। अन्य किसी नाम के विरुद्ध उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

प्रो0 डी0पी0 सिंह के सम्बन्ध में ऐसी ही बातें श्री राजेश सिंह द्वारा उठायी गयी है और यह भी कहा गया कि बैठक दिनाँक 03.12.2002 के कार्यवृत्त में उनका नाम नहीं है। उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ से प्राप्त सूची दिनाँक 18.03.2008 और कुछ अन्य कागजात भी आपत्ति के रुप में दाखिल किया। श्री जे0आर0 त्रिपाठी द्वारा भी प्रो0 डी0पी0 सिंह की सदस्यता से सम्बन्धित लिखित आपत्ति दाखिल की गयी है और यह कहाकि वह कभी भी मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी के सदस्य नहीं बने।

प्रो0 मधुरिमा लाल जी ने अपने आपको वर्ष 2008 में सोसाइटी का सदस्य बनाया जाना बताया तथा उसके लिए रु0 11000/–(रुपया ग्यारह हजार) जमा करने की भी बात कही है। उन्होंने यह भी कहा है कि नेशनल इण्टर कालेज की प्रबन्ध समिति की सदस्य रही है जिस समय श्री अनिल सिंह विद्यालय के प्रबन्धक थे।

11– श्री मनोज कुमार गुप्त ने अपने आपको श्री सी0बी0 गुप्ता जी का पौत्र बताया तथा यह कहाकि उन्होंने रु0 1,000/–(रुपया एक हजार) सदस्यता शुल्क जमा किया था। वह मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी द्वारा संचालित आदर्श माँ लक्ष्मी का होम्योपैथिक अस्पताल, लखीमपुर खीरी में वर्ष 1998 से लेकर 2006 तक लगातार सचिव पद पर कार्य करते रहे तथा इस दौरान बैंक खातों का संचालन भी उन्हीं के हस्ताक्षर से किया जात रहा है। वर्ष 2007 में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था और उसके बाद उन्हें का0 अध्यक्ष बनाया गया था।

Scanned by CamScanner

12– प्रो0 डी0पी0 सिंह द्वारा अपनी सदस्यता के सम्बन्ध में लिखित प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया तथा उनके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल स्पेशल अपील का सन्दर्भ भी दिया गया। उन्होंने यह भी अंकित किया कि वह वर्ष 1950 से मोतीलाल मेमोरयल सोसाइटी से जुड़े हैं और उनकी उम्र 90 वर्ष है। उन्होंने यह भी कहाकि वह बिड़ला छात्रावास के वर्ष 1969 से 1972 तक प्रबन्धक/मंत्री थे तथा नेशनल पी0जी0 कालेज की स्थापना काल से ही जुड़े हुए है। आखिर में उन्होंने कुँवर रेवती रमण सिंह तथा राजा आनन्द सिंह को संस्थापक सदस्य के रुप में माने जाने पर भी आपत्ति की है। उन्होंने अपने पत्र दिनाँक 05.08.2020 के माध्यम से अपने आपको संस्थापक सदस्य मानते हुए उसके लिए बैठक में शामिल होने की भी इच्छा व्यक्त की थी।

13– एक अन्य आपत्ति डा0 श्रीमती ऊषा चौधरी जी की पत्र के माध्यम से प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने यह क्लेम किया है कि वह दिनाँक 20.12.1984 को भारत सेवा संस्थान की संरक्षक सदस्य बनायी गयी थी तथा उस हैसियत से वह मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी की भी संरक्षक सदस्य हो जायेंगी। उससे सम्बन्धित जारी उपसचिव भारत सेवा संस्थान के पत्र दिनाँक 10.12.1984 की प्रतिलिपि भी प्रेषित की है। डा0 श्रीमती ऊषा चौधरी का नाम डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ से प्राप्त सूची में क्रमांक 50 पर अंकित है इसलिए श्रीमती चौधरी के सम्बन्ध में अन्य कोई निर्णय की आवश्यकता नहीं है।

14– अन्तरिम समिति यह पाती है कि :––

(i) श्री अनिल सिंह का वर्ष 2009 से 2012 तक नेशनल इण्टर कालेज का प्रबन्धक होना तथा उन्हें जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उपरोक्त के रुप मान्यता प्रदान करना निर्विवादित है।

(ii)श्री छत्रपाल शर्मा द्वारा प्रशासन परिषद की बैठक दिनाँक 21.02.2009, 25.06.2009, 15.02.2010 तथा 22.07.2010 में प्रतिभाग करना, प्रशासन परिषद की कार्यवाही रजिस्टर से प्रमाणित होता है।

(iii)डा0 मधुरिमा लाल, न्यायमूर्ति डी0के0 उपाध्याय, प्रो0 ए0एन0 सिंह डा0 ए0के0 सिंह का नेशनल इण्टर कालेज की प्रबन्ध समिति का वर्ष 2009 से

Scanned by CamScanner

2012 तक सदस्य होना भी निर्विवादित है। नेशनल इण्टर कालेज की प्रमाणित स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन जो विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा अन्तरिम समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी है में स्पष्ट रुप से उल्लिखित हैं कि कालेज की साधारण सभा सोसाइटी की ही साधारण सभा होगी तथा पदाधिकारी व सदस्य बहुमत के आधार पर साधारण सभा द्वारा चुने जायेंगे। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में यह कहना समीचीन होगा कि श्री अनिल सिंह, प्रो0 मधुरिमा लाल, प्रो0 ए0के0 सिंह, न्यायमूर्ति श्री देवेन्द्र कुमार उपाध्याय डा0 ए0एन0 सिंह का मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी का सदस्य होना प्रमाणित होता है।

17– अन्तरिम समिति यहाँ यह भी उल्लिखित करना उचित समझती है कि उपरोक्त लोगों की सदस्यता के बारे में कोई आपत्ति अन्यथा नहीं प्राप्त हुई है। श्री छत्रपाल शर्मा के खिलाफ जो आपत्ति श्री जे0आर0 त्रिपाठी जी द्वारा प्रस्तुत की गयी है वह एक ऐसे आदेश पर आधारित है जिसको मा0 उच्च न्यायालय ने अमान्य किया है। इसलिए उनको मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी से निकाला जाना प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। जहाँ तक प्रो0 डी0पी0 सिंह का प्रश्न है उनका बिड़ला छात्रावास का सचिव होना सोसाइटी ने माना है जिसका पुराना रिकार्ड जरुरत पड़ने पर निकाला जा सकता है। अतः उपरोक्त परिस्थिति में प्रो0 डी0पी0 सिंह को संस्थापक सदस्य तो नहीं माना जा सकता है (मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनाँक 11.06.2020 के क्रम में) पर उनको संस्था का सदस्य मानना उचित होगा।

श्री मनोज गुप्ता द्वारा यह बताया गया कि वह सोसाइटी द्वारा संचालित आदर्श माँ लक्ष्मी का होम्योपैथिक अस्पताल के वर्ष 1998 से 2006 तक सचिव थे तथा बैंक खातों का संचालन भी वही करते थे। उक्त तथ्य भी सोसाइटी के रिकार्ड से सत्यापित है बिना सोसाइटी का सदस्य हुए कोई भी व्यक्ति सचिव नहीं हो सकता और न ही उसके द्वारा संचालित संस्थाओं के बैंक खातों का संचालन कर सकता है।

18– अन्तरिम समिति यहाँ उल्लिखित करना उचित समझती है कि श्री अनिल सिंह, श्री छत्रपाल शर्मा, प्रो0 डी0पी0 सिंह श्री मनोज कुमार गुप्ता प्रो0 मधुरिमा लाल, न्यायमूर्ति श्री देवेन्द्र उपाध्याय, प्रो0 ए0एन0 सिंह, डा0 ए0के0 सिंह में से कोई भी संस्था शुल्क जमा करने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके। पर विडम्बना यह है कि सोसाइटी में भी सदस्यता का रजिस्टर तथा अन्य कोई अभिलेख जिससे

Scanned by CamScanner

शुल्क जमा करने की तिथि तथा रकम का मिलान हो सके उपलब्ध नहीं है। अन्तरिम समिति इन परिस्थितियों में यह निणर्य लेने में दिक्कत महसूस करती है कि किस श्रेणी का सदस्य इन लोगों को माना जाय।

अन्तरिम समिति उपरोक्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए यह न्यायोचित समझती है कि ---

1- श्री अनिल सिंह
2- श्री छत्रपाल शर्मा
3- प्रो0 डी0पी0 सिंह
4- श्री मनोज कुमार गुप्ता
5- प्रो0 मधुरिमा लाल
6- न्यायमूर्ति श्री देवेन्द्र उपाध्याय
7- प्रो0 ए0एन0 सिंह
8- डा0 ए0के0 सिंह

को आजीवन सदस्य के रुप में मान्यता प्रदान करने का निर्णय लेती है। Bye-laws में (आजीवन सदस्य के रुप में किसी भी धनराशि जमा करने की बाध्यता नहीं है)।

19- श्रीमती राजरानी अग्रवाल जी ने अपने आपको संरक्षक सदस्य माने जाने के लिए पत्र दिनाँक 29.07.2020 प्रस्तुत किया था जिस पर किसी निर्णय की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनका नाम डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची में संरक्षक सदस्य के रुप में उल्लिखित है। इसी प्रकार एक आपत्ति श्री बी0बी0 जिन्दल जी की प्राप्त हुई परन्तु उनका भी नाम सूची में है इसलिए उनकी आपत्ति पर किसी निर्णय की आवश्यकता नहीं है।

20- 2 अन्य आपत्तियाँ प्राप्त हुई जिनमें श्री राजकिशोर रस्तोगी ने कहा है कि उनके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में स्पेशल अपील दाखिल की गयी है। जब तक वह निर्णित न हो जाय तब तक चुनाव न कराये जाय। दूसरी अपील प्रो0 ए0के0 शर्मा संस्थापक सदस्य की है। ऊपर लिखे कारणों के कारण यह क्षेत्राधिकार अन्तरिम समिति में निहित न होने के कारण यह आपत्तियाँ निरस्त की जाती है।

Scanned by CamScanner

अन्य कोई आपत्ति शेष न रह जाने के कारण अन्तरिम समिति डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ से प्राप्त सूची में से मृत लोगों को हटाते हुए तथा उपरोक्त वर्णित 8 निर्वाचित संस्थापक सदस्यों के साथ उपरोक्त प्रस्तर–18 में लिखित 8 व्यक्तियों को आजीवन सदस्य मानते हुए तथा साथ ही भारत सेवा संस्थान से प्राप्त सूची में से मृत लोगों को हटाते हुए मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी की साधारण सभा का निर्धारण निम्न प्रकार करती है।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनाँक 11.06.2020 में मान्य किये गये संस्थापक सदस्य के नाम :–

1– कुँवर रेवती रमण सिह
2– राजा आनन्द सिंह
3– डा0 दाऊजी गुप्त
4– श्री जे0आर0 त्रिपाठी
5– श्री माता प्रसाद

संस्थापक सदस्यों की बैठक दिनाँक 14.08.2020 में निर्वाचित संस्थापक सदस्यों के नाम :–

6– श्री केशव प्रसाद
7– कुँवर उज्जवल रमन सिंह
8– श्री कीर्तिवर्धन सिंह
9– श्री रत्नेश गुप्ता
10– श्री एस0के0 त्रिपाठी
11– श्री राजेश सिंह
12– डा0 ओम प्रकाश अग्रवाल
13– श्री प्रताप

अन्तरिम समिति द्वारा आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात मान्य आजीवन सदस्यों के नाम:–

14– श्री अनिल सिंह
15– श्री छत्रपाल शर्मा
16– प्रो0 डी0पी0 सिंह
17– श्री मनोज कुमार गुप्ता
18– डा0 मधुरिमा लाल

Scanned by CamScanner

19– न्यायमूर्ति श्री देवेन्द्र उपाध्याय
20– प्रो० ए०एन० सिंह
21– डा० ए०के० सिंह

डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा प्राप्त सदस्यों की सूची का परीक्षण कर मृत सदस्यों के नामों को अपलिखित करते हुए साधारण सभा के अन्य सदस्यों के नाम :–

22– श्री गोपीनाथ गुप्ता
23– श्री हरेश्वर दयाल सेठ
24– श्रीमती मंजुलता रस्तोगी
25– श्री ललित प्रकाश अग्रवाल
26– श्री जी०सी० शर्मा
27– विश्वप्रकाश थपलियाल
28– ओमकार शरण कोठीवाल
29– श्री पियूश सिंघल
30– श्री गुंजन गुप्ता
31– श्रीमती मीनावती अग्रवाल
32– श्री वी०के० अग्रवाल
33– श्री जगत प्रकाश
34– श्री धर्मात्माशरण कोठीवाल
35– श्री श्रीधर आजाद
36– श्री कुँवर नारायण
37– श्री जगदीश चन्द्र सी०पारिख
38– श्रीमती सी०डी०जे० पारिख
39– श्री चम्पकलाल के० पारिख
40– श्रीमती चम्पकलाल के० पारिख
41– श्री कमल किशोर रस्तोगी
42– श्री सतीश चन्द्र गोयल
43– श्रीमती आशा असरानी
44– श्री अशोक कुमार गुप्ता
45– श्री बी०बी० जिन्दल

Scanned by CamScanner

46– श्रीमती राजरानी अग्रवाल
47– श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता
48– श्री माधव प्रसाद मधुवन
49– डा0 श्रीमती ऊषा चौधरी
50– श्री विनोद नारायण
51– श्री राधेकृष्ण गुप्ता
52– श्री अतुलपाल गुप्ता
53 श्री सोम प्रकाश गुप्ता
54– श्री केशव कृष्ण
55– श्री एस0एस0 मेहरोत्रा
56– श्री ओम नारायण बंसल
57– श्री श्याम नारायण अग्रवाल
58– श्री प्रवीण कुमार गुप्ता
59– श्रीमती सीता असरानी

सोसाइटी संविधान के नियम–9 के अन्तर्गत भारत सेवा संस्थान के साधारण सभा के सदस्यों की सूची :–

60– श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू
61– श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह(श्री एस0पी0 सिंह)
62– इंजीनियर सी0बी0 सिंह
63– श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह
64– श्री देवेन्द्र नाथ मिश्र
65– श्री देवेन्द्र सिंह गौतम
66– श्री अभिषेक सिंह अंशू
67– श्री शिवकुमार सिंह
68– श्री सदानन्द मिश्रा
69– श्री अखिलेश सिंह
70– श्री प्रदीप कुमार सिंह
71– श्री नरेन्द्र कुमार मेहरोत्रा
72– श्री राजेन्द्र प्रताप यादव
73– श्रीमती विद्या यादव।

Scanned by CamScanner

उपरोक्त निर्णय को सूची के साथ मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी तथा बाल विद्या मन्दिर सी0से0 स्कूल के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाय। आगे के चुनाव की विस्तृत रुपरेखा अन्तरिम समिति द्वारा अपनी आगामी बैठक दिनाँक 14.010.2020 में तय की जायेगी।

अ0गु0, 07

(मा0 अरुण टण्डन)
न्यायमूर्ति(से.नि.)
अध्यक्ष, अन्तरिम समिति

(वीरेन्द्र चौबे)
उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा(से.नि.)
सदस्य, अन्तरिम समिति

(मुरलीधर राय)
विशेष कार्याधिकारी (से.नि.)
सदस्य, अन्तरिम समिति

(वी0के0 माथुर)
सीनियर आडिटर(से.नि.)
सदस्य, अन्तरिम समिति

Scanned by CamScanner